न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 90/17
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी.
निर्णय दिनांक 16.04.2024

सतीश बनाम भवानीदास वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा.दी.व मुकदमा सतीश बनाम भवानीदास वगै0

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना–पत्र में पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न. 1777 रकवा 0.05, 1778 रकवा 0.03 किता 2 रकवा 0.08 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसके वादीगण 1777 में 1/4 हिस्सा का खसरा न. 1778 में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त आराजी बाबत एक दावा वाउनवानी ओमप्रकाश बनाम लोकाराम चला जिसको न्यायालय श्रीमान द्वारा 24.09.2020 को निर्णित कर प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्सा का खातेदार माना जिसमें अपील आरएए भरतपुर में की गई जिसमें आरएए भरतपुर द्वारा दिनांक 13.11.2000 को अपील सं. 49/1999 को खारिज कर दिया तथा सहायक कलक्टर नदबई के आदेश को यथावत र खा गया उसके खिलाफ वादीगण द्वारा अपील सं. 5863/2000 वाउनवानी चन्द्रकला बनाम ओमप्रकाश पेश की गई जिसको दिनांक 24.09.90 को यथावत रखते हुये यह आदेश पारित किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवाधक सं. 4 में पेज सं. 8 के अंतिम अनुच्छेद में अंकित किया है कि खसरा न. 1065/1 एवं 1065/3 में लोकाराम के नाम सिर्फ 7 विस्बा भूमि अंकित थी जब कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में गत खसरा न. 1065 मिन से बने हाल खसरा न. 1379, 1393 एवं 1394 में लोकाराम के क्रमशः 4 बिस्वा, 2 बिस्वा, 2 बिस्वा रकवा दर्ज है, जो जमाबंदी सं. 2028 से प्रमाणित है। इस तरह भूप्रबंध से पूर्व आराजी न. 1065 में लोकराम का मात्र 7 वि. भूमि ही था उसे बढाकर भूप्रबंध ने 8 बिस्वा अंकित कर दी है। जिससे प्रकट हो रहा है कि यह एक बिस्वा भूमि लोकाराम की खाते में अतिरिक्त दर्ज हुई है एवं लोकाराम ने इसी अतिरिक्त दर्ज हुई । विवादित भूमि को वर्तमान अपीलार्थीया को विक्रय कर दी है। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण इस 1 बिस्वा भूमि को अपनी मान रहे हैं, जो निराधार है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी3 के अनुसार भूप्रबंधक से पूर्व जरीब 132 फीट की थी जो भू. प्रबंध के बाद 165 फीट कर दी गई थी और जरीब 132 फीट से 165 फीट कर देने के बाद लोकाराम के खाते में भूप्रबंध से पूर्व दर्ज 7 बिस्वा भूमि भू.प्रबंध के बाद का रकवा 7 बिस्वा से भी कम होना चाहिये अर्थात करीब 8 बिस्वा ही होना चाहिये उसकी बजाय उसका रकवा 7 बिस्वा से बढाकर 8 बिस्वा कर दिया जो पुनः इस बात की पुष्टि करता है कि भू प्रबंध में लोकाराम के खाते में जितनी भूमि थी उससे ज्यादा भूमि अंकित की है एवं मात्र जमाबंदी में भू प्रबंध द्वारा गलत ढंग से भूमि का अंकन दिये जाने मात्र से लोकाराम को अनाधिकृत रूप से उसके खाते में दर्ज की गई भूमि के विक्रय के अधिकार प्राप्त नहीं होते है और ना ही केता को मात्र रजिस्ट्री के आधार पर इस तरह के अधिकार प्राप्त होते है।

इस प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय ... दिनांक 6.12.78 को अनाधिकृत मानकर रजिस्ट्री के आधार पर कोई अधिकार वादीगण को नहीं बतलाये तथा अपील को खारिज कर ... भरतपुर के निर्णय डिकी दिनांक 13.01.2000 को यथावत रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ वादीगण द्वारा अपने आगे कोई अपील पेश नहीं की गई इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री मानी जावेगी इस प्रकार उक्त प्रकरण को न्यायालय श्रीमान द्वारा व उनवानी ओमप्रकाश बनाम लोकराम में दिनांक 24.09.98 को निर्णय कर दिया गया था तथा जिसे राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री 13.11.2000 को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया था जिसमें न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय नदबई का आदेश दिनांक 24.09.1990 को यथावत रखा गया तथा राजस्व मण्डल के आदेशानुसार प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राजात चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त इन्द्राजात राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयानुसार चले आ रहे हैं। जिन्हें वादीगण द्वारा अन्य किसी अपर न्यायायल में चैलेंज नहीं किया गया है। इसलिए जब पूर्व में किए गए दावा में ही निर्णय हो चुका है। तथा न्यायायल श्रीमान द्वारा उक्त प्रकरण में ही इन्द्राजात बरकरार चल रहे हैं। इस प्रकार जब न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त प्रकरण को निर्णित कर दिया है तो उस बाबत दूसरा दावा न्यायालय श्रीमान में नहीं चल सकता है। इसलिए यह धारा 11 के तहत उक्त प्रकरण को रोक दिए जाने बाबत निवेदन किया। यह कि उक्त प्रकरण धारा 11 के तहत बाधित है। इसलिए उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर रोका जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी वकील की ओर से जबाव पेश किया गया जो निम्न प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 777 रकबा 0.05, 1778 रकबा 0.03 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में स्थित होने एवं ओमप्रकाश बनाम लोकाराम के उनवान से दावा चलने व अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 29.04.1990 को निर्णित होने व दिनांक 13.11.2000 को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय होने व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर को निर्णय को यथावत रखने के अतिरिक्त अन्य कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त निर्णयों एवं वर्तमान वादीगण के दावा के विवाद बिन्दु समान न होकर भिन्न–भिन्न हैं। ओमप्रकाश द्वारा साबिक खसरा नंबर 1393 रकबा 4 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 1777 कस्बा नदबई द्वितीय बना है, के 1/4 हिस्से पर खातेदारी गया था जबकि लोकाराम पुत्र जहांगीराम उर्फ जहांगीरराम द्वारा वादीगण की माता चन्द्रकला को उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा एवं अन्य खसरा नंबर 1394 जिसका हाल खसरा नंबर 1778 कस्बा नदबई द्वितीय का 1/2 हिस्सा प्रतिफल लेकर दिनांक 6.12.1978 को वादी की माता व दादी चंद्रकला को विक्रय कर दिया था। सहायक कलक्टर महोदय नदबई व अपर अदालतों में वादीगण की माता व दादी द्वारा दिनांक 06.12.1978 को खरीद की गई उक्त भूमि बाबत अपना कोई निर्णय नहीं दिया। विवाद विन्दु भिन्न–भिन्न होने से प्रार्थना धारा जा0दी0 काबिल खारिजी के है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 जिस तरीके से वर्णित की गई है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। दावा ओमप्रकाश बनाम लोकाराम व अपीलों व निर्णय व डिक्री 06.12.1978, 24.09.1998 व 13.11.2000 के तथ्य व इस्यूज भिन्न हैं। तथा प्रश्नगत दावा के विवाद बिन्दु भिन्न हैं। विवाद विन्दु भिन्न भिन्न होने धारा 11 जा0 दी0 ... आरिज नहीं होती। प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 काबिल ... है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 ... अस्वीकार है। प्रश्नगत दावा धारा 11 से प्रभावित/बाधित नहीं ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने दौराने बहस कहा कि विवादित आराजी खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

1777 व 1778 वाके कस्बा नदबई द्वितीय स्थित है। जिसका मुताबिक बयनामा एक दावा पेश किया गया था जो ओमप्रकाश बनाम लोकाराम न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में चला है। जो दिनांक 24.09.1990 को न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा निर्णय कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में की गई थी तथा जिसकी अपील दिनांक 13.11.2020 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5863/2000 उनवानी चंद्रकला बनाम ओमप्रकाश पेश की गई जिसको माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 24.09.1990 को यथावत रखते हुए आदेश पारित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध इनके द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई। इनके द्वारा पुनः दावा लाया गया है जो दावा लाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात का निर्णय पूर्ववर्ती दावों में किया जा चुका है। उक्त दावा में समान पक्षकार हैं तथा समान रिलीफ चाही गई है और वही आराजीयात है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में पूर्व में दावा तय हो चुके हैं तो पुनः उसी आराजी पर दावा नहीं चलाया जा सकता लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

वकील प्रतिवादी/वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि पूर्व में जो दावा पेश किया गया है वो ओमप्रकाश द्वारा पेश किया गया था जो हाल खसरा नंबर 1777 में अपना एक बिस्वा रकबा बताया गया था वो ओमप्रकाश बनाम लोकाराम के नाम दावा था। ओमप्रकाश ने चंद्रकला को विक्रय कर दिया तथा ओमप्रकाश के दावा को डिक्री कर दिया कि लोकाराम का 1/2 हिस्सा न होकर 1/4 हिस्सा है जिसकी अपील चंद्रकला द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर की गई। वर्तमान वाद सतीश पुत्र चद्रंकला बनाम भवानीदास, लोकाराम के बेटे भवानीदास के विरूद्ध पेश किया गया है जिसमें अधिक रकबा के बेचान का अधिकार नहीं था इस प्रकार दोनों दावों में न ही समान पक्षकार है और न ही समान रिलीफ चाही गई है। हमने 1/4 हिस्से पर ही दावा किया है जो रजिस्टर्ड वयनामा किया गया है, को किसी ने भी नल एण्ड वोईड घोषित नहीं किया है। इस प्रकार हमने दावा लोकाराम के 1/4 हिस्से पर ही खातेदारी घोषणा का किया है। अतः इनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 के तहत पेश किया गया है। जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 1777, 1778 वाके ग्राम कस्बा नदबई स्थित आराजीयात पर पूर्व में एक दावा उनवानी ओमप्रकाश बनाम लोकाराम न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई चला था जिसका निर्णय दिनांक 24.09.1990 को निर्णित कर दिया गया जिसमें खसरा नंबर 1393 पर प्रतिवादी संख्या 1 लोकाराम के नाम अंकित 1/2 हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी ओमप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा दुरूस्त किया गया। उक्त निर्ण य की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिका[illegible] 11.2000 को अपील संख्या 49/99 को अपील खारिज करते हुए न्यायाल[illegible] कलक्टर नदबई के निर्णय को यथावत रखा गया। [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5863/2000 उनवानी [illegible] ओमप्रकाश पेश की गई जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील [illegible] करते हुए दिनांक 11.05.2015 में पारित निर्णयुनसार अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] व डिक्री दिनांक 13.

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

11.2000 को यथावत रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा कोई अपील पेश नहीं। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम मानी जावेगी। इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ अन्य किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात के दावे पूर्व में ही निर्णय हो चुका है तथा प्रकरण में इन्द्राजात बरकरार चल रहे हैं। वादी द्वारा पुनः दावा उक्त विवादित आराजीयात पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। जबकि वादी द्वारा पूर्ववर्ती दावों व डिक्री के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं निर्णय डिक्री से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उक्त विवादित आराजीयात बाबत पूर्व में ही वादों का निस्तारण किया जा चुका है जिनमें समान पक्षकार रहे हैं तथा समान रिलीफ चाही गई है एवं समान कॉज ऑफ एक्शन है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकारयोग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 के तहत स्वीकार किया जाकर दावा व उनवानी सतीश बनाम भवानीदास इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/5/24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

16/5/24

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर) (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner